पश्चिम क्षेत्रीय समिति,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
मानस भवन श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 (म.प्र.),
फोन– 0755–2739672, 2660915, 2660379, 2660372, फेक्स –(0755)– 2660912
ई–मेलः wrc@ncte-india.org, वेबसाइटः www.nctewrc.co.in

निविदा आमंत्रण सूचना

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद), मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल को भोपाल से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी –7, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जाना हैं।

इस हेतु कुशल मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनियों/संस्थाओं, जो सामान की सुरक्षित पैकिंग/ट्रांसपोर्टेशन/अनपैकिंग के कार्य में विगत् दस वर्षो से सम्मिलित हो, से सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदनकर्ता दिनांक 03.05.2018 से 11.05.2018 तक सायं 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच कार्यालय में उपलब्ध, सभी सामान/रिकार्ड का भौतिक अवलोकन कर सकतें हैं।

निविदा के नियम व शर्तें, कार्यालय में तथा पश्चिम क्षेत्रीय समिति की वेबसाइट www.nctewrc.co.in पर उपलब्ध हैं।

सील बन्द निविदा दिनांक 03.05.2018 (प्रातः 10:00 बजे) से दिनांक 11.05.2018 (सायं 5:00 बजे) तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। प्राप्त सील बन्द निविदा प्रपत्र दिनांक 14.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे सभा कक्ष, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय मानस भवन, भोपाल में खोली जाएंगी। इच्छुक आवेदनकर्ता दिनांक 14.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। किसी भी निविदा को बिना कारण बताएं अस्वीकार करने का अधिकार पश्चिम क्षेत्रीय समिति, रा.अ.शि.प. के पास सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक

F.No.WRC/NCTE/Shifting /2018 दिनांकः

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
पश्चिम क्षेत्रीय समिति,
मानस भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल—462002
(फोन न0 – 0755—2739672, 2660379, 2660372, 2660915)

इस कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए निविदा फार्म निम्न प्रोफार्मा में पैकर्स एवं मूवर्स अपना विवरण प्रस्तुत करें।

1. फर्म/कम्पनी का नाम व पता :

2. मोबाईल न. :
   टेलीफोन :
   ई—मेल :
   वेबसाईट :

3. अधिकृत अधिकारी का नाम व पद तथा मोबाईल न. :

4. टेन न./पेन न. :
   जी.एस.टी. न. :

5. अनुभव (वर्षों में) (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

6. टेण्डर की राशि :

7. अन्य टैक्स :

8. कार्य पूर्ण करने की समय सीमा :

9. शिफटिंग के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जायेगा। :

Part – II

A. Competitive rates to be filled by the interested Acency/Packers & Movers Company in the following format:

Range (KM)	**Rane of weight slab (in Tons)**	**Charges in Rupees (Bhopal to Delhi) Exclusive of G.S.T. Tax and Insurance**	**Charges in Rupees (Bhopal to Delhi) Inclusive of G.S.T. Tax and Insurance**
(0 Km to 800 Km approx.)	(1 to 7 Ton) (8 to 15 Ton)	Rs. Rs.	Rs. Rs.

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
पश्चिम क्षेत्रीय समिति,
मानस भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल–462002
(फोन न0 – 0755–2739672, 2660379, 2660372, 2660915)

निविदा के नियम व शर्तें

1. मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी/एजेन्सी का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
2. मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी के पास पैन, टैन एवं जी.एस.टी नम्बर होना आवश्यक है।
3. कार्यालय का सभी सामान 15 दिन के अन्दर शिफ्ट किया जाना है।
4. मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी/ऐजेन्सी को इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी द्वारा दर्शाये गये मूल्यो में शिफ्ट किये जाने वाले सामान का पूर्व निरीक्षण, पैकिंग सामग्री एवं उसका मूल्य, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग एवं अनपैकिंग सम्मिलित होगें।
6. कार्यालय के सभी सामान को यथा स्थिति में कार्यालय के नये परिसर में पहुँचाने तथा व्यवस्थित ढंग से लगाने की समस्त जिम्मेदारी मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी/एजेन्सी की होगी।
7. सभी सामान/रिकार्ड का चालान बनाकर नये कार्यालय में शिफ्ट किया जायेगा। चालान में शिफ्ट किये जा रहे समस्त सामान/रिकार्ड की जानकारी उल्लेखित होगी।
8. यदि कोई सामान टूटता या फूटता है अथवा कोई रिकार्ड कहीं पर खो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मूवर्स एण्ड पैकर्स कम्पनी/एजेन्सी की होगी।
9. कार्यालय के पूरे सामान/रिकार्ड को नये भवन में व्यवस्थित ढंग से पहुँचाने एवं लगाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
10. भुगतान चैक द्वारा दिया जायेगा।
11. शिफ्टींग का कार्य दिन में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे) कार्यालय अवधि के दौरान किया जायेगा।
12. शिफ्टींग/ट्रांसपोर्टेशन के लिये आवश्यक सरकारी/गैर सरकारी/प्रशासनिक अनुमोदन/सहायता लेने की जिम्मेदारी चयनित कम्पनी/निविदादाता की होगी।
13. संस्था को निविदा के साथ 1 लाख रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट 'क्षेत्रीय निदेशक' डब्ल्यू. आर.सी., एन.सी.टी.ई., भोपाल के नाम "सुरक्षा निधि" (वापसी योग्य) के रूप में जमा कराना होगा।